

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका।

मनरेगा अन्तर्गत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी/तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)/तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/कम्प्यूटर सहायक/लेखा सहायक/ग्राम रोजगार सेवक की संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधी सूचना :-

॥ विज्ञापन ॥

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना ज्ञापांक 4729 दिनांक 04.06.2007 एवं पत्रांक (N) 848 दिनांक 21.03.2017 के आलोक में दुमका जिला के अधीन मनरेगा अन्तर्गत प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी/तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)/तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/कम्प्यूटर सहायक/लेखा सहायक/ग्राम रोजगार सेवक की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने के लिए निम्नांकित शर्तों के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. आवेदन पत्र उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका के पदनाम से दिनांक - 15.02.2018 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका में 4.00 बजे अपराह्न तक स्वयं/निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

2. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी

मासिक परिलब्धि - 19500.00 (उन्नीस हजार पाँच सौ) रू०

(1) अनिवार्य योग्यता- सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में प्रतिष्ठा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक 55 प्रतिशत से कम है, परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(2) अतिरिक्त योग्यता- (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०बी०ए०/पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०बी०एम०/पी०जी०डी०आर०डी०ए०/बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए०/एम०एस०सी०(कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यता होगी। एम०बी०ए०/पी०जी०डी०बी०एम० एवं पी०जी०डी०आर०डी०ए० में समतुल्यता लाने के लिए एम०बी०ए०/पी०जी०डी०बी०एम०/पी०जी०डी०आर०डी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम०बी०ए० की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर को बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत में क्रमशः 5 घटा दिया जायेगा तथा बी०एस०सी० आनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

(ख) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए०/सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

3. तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)

मासिक परिलब्धि - 19234.00 (उन्नीस हजार दो सौ चौतीस) रू०

(1) अनिवार्य योग्यता- सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल संकाय में बी०ई० या बी०टेक० अनिवार्य योग्यता होगी।

(2) अतिरिक्त योग्यता- (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम०टेक० तथा पी०जी०डी०सी०ए०/एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी

(ख) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

4. तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)

मासिक परिलब्धि - 17520.00 (सत्रह हजार पाँच सौ बीस) रू०

(1) अनिवार्य योग्यता- सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।

(2) अतिरिक्त योग्यता- (क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी०टेक०/बी०ई० तथा बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर/बी०एस०सी० कम्प्यूटर आनर्स तथा एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(ख) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर को बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

(ग) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

5. लेखा सहायक

मासिक परिलब्धि - 10000.00 (दस हजार) रू०

(1) अनिवार्य योग्यता - सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०कॉम ऑनर्स या सामान्य बी०कॉम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी०कॉम उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात् एम०कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी०कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

6. कम्प्यूटर सहायक

मासिक परिलब्धि - 10000.00 (दस हजार) रू०

(1) अनिवार्य योग्यता -

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे -

1. बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स
2. बी०एस०सी० कम्प्यूटर सामान्य
3. बी०सी०ए०
4. सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण।

(b) बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(2) अतिरिक्त योग्यता- (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी। (ख) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए०/सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।

7. ग्राम रोजगार सेवक

मासिक परिलब्धि - 6050.00 (छः हजार पचास) रू०

(1) अनिवार्य योग्यता - सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमिडिएट या मैट्रिक पेरीक्षा के पश्चात् किसी भी ट्रेड में ITI मैट्रिक के पश्चात् ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमिडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।

(2) अतिरिक्त योग्यता- (क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/बी०सी०ए० तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/पी०जी०डी०सी०ए०/पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०आर०डी० अतिरिक्त योग्यता होगी।


(ख) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 05 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी०जी०डी०सी०ए०/पी०जी०डी०बी०ए०/पी०जी०डी०आर०डी० को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 05 घटा दिया जायेगा। (ग) अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमिडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा। उपर वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएँ जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान का ही मान्य होगा। (घ) आवेदन पत्र के आधार पर श्रेणीवार मेधा सूची तैयार की जायेगी, जो आगामी एक वर्ष के लिए वैध होगा।

5. आयु सीमा - न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा-अनारक्षित- 35 वर्ष, महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अन्यत पिछड़ा)- 38 वर्ष, अ०ज०जा०/अ०जा० (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष।

6. योग्य एवं अर्हता प्राप्त आवेदक यदि एक से अधिक पद हेतु आवेदन जमा करना चाहे, तो वे प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग आवेदन समर्पित करेंगे।

7. तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)/कम्प्यूटर सहायक/लेखा सहायक/ग्राम रोजगार सेवक पद के आवेदन के साथ दुमका जिला के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की स्व0-अभिप्रमाणित छायाप्रति समर्पित करना आवश्यक है।
8. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन दुमका जिला के किसी भी प्रखण्ड एवं किसी ग्राम पंचायत में रिक्त पदों के विरुद्ध उप विकास आयुक्त-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी होगी।
9. प्रारंभिक चरण में संविदा आधारित नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इसका कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व नियुक्ति के लिए गठित समिति द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण नहीं होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
10. किसी कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं रहने के स्थिति में उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह के परिलब्धि देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी तथा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त कर दी जायेगी।
11. आवेदनकर्ता अपने आवेदन एवं संलग्न प्रमाण-पत्रों की प्रति को एक बड़े लिफाफे में रखकर आवेदित पद का नाम स्पष्ट अंकित करते हुए कार्यालय में समर्पित करेंगे।
12. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों/अंक पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

उक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है।


(शशि रंजन^{मा०प्र०से०})
उप विकास आयुक्त
-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक
दुमका।

आवेदन-पत्र

- 1) आवेदित पद का नाम :-
- 2) आवेदक का नाम :-
- 3) आवेदक का पिता/पति का नाम :-
- 4) लिंग (पुरुष/महिला) :-
- 5) स्थायी पता :-
- 6) पत्राचार का पता :-
- 7) जन्म तिथि :-
- 8) कोटि (सामान्य/अ0ज0जा0/अ0जा0/पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग) :-
- 9) दूरभाष/मोबाईल नं0 :-
- 10) ईमेल (यदि है तो) :-
- 11) शैक्षणिक योग्यता :-

अभिप्रमाणित
फोटो

क्र0	परीक्षा उत्तीर्ण	बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्ण का श्रेणी	प्राप्तांक	प्रतिशत
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

12) अन्य योग्यता :-

13) अनुभव :-

14) अनुलग्नक :-

घोषणा :- प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सभी विवरणी सत्य है। असत्य एवं गलत पाये जाने पर स्वयं दण्ड के भागी होंगे।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर